

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.3(50)नविवि/3/2016 पार्ट

जयपुर दिनांक 30 OCT 2017

सचिव,
नगर विकास न्यास,
पाली/सीकर/बाडमेर/चित्तौड़गढ़/सवाईमाधोपुर

30 OCT 2017

आयुक्त,
नगर परिषद,
पाली/सीकर/बाडमेर/चित्तौड़गढ़/सवाईमाधोपुर

विषय :- पूर्व में अनिस्तारित प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि सक्षम स्तर से लिए निर्णयानुसार दिनांक 06.02.2014 से पूर्व के अथवा पश्चात् के समस्त प्रकरण जिनमें ले-आउट प्लान अनुमोदित हुए हैं अथवा नहीं, उन समस्त प्रकरणों में पट्टे जारी करने का कार्य दिनांक 30.09.2017 के पश्चात् सम्बन्धित नगर विकास न्यास द्वारा किया जाना है। अतः सम्बन्धित नगर परिषद तुरंत प्रभाव से नगर विकास न्यासों को ऐसे प्रकरणों का हस्तान्तरण करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(जगजीत सिंह मोंगा)
संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

30/10/17

श. प्र. श.
कलक.
30/10